

¹[नियम 47क : उस मामले में कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा जहां पानेवाले के लिए बीजक जारी करना अपेक्षित है

नियम 47 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां भी जहां नियम 46 में निर्दिष्ट बीजक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, द्वारा धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन जारी किए जाने के लिए अपेक्षित है, वह यथास्थिति माल या सेवा या दोनों के उक्त प्रदाय की प्राप्ति की तारीख से अवधि के भीतर उक्त बीजक जारी करेगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 20/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा नियम (47क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।